UNIT - 04

AGRICULTURE "NATURE AND IMPORTANCE"

भारतीय कृषि का स्वरूप –

स्वतंत्रता के पश्चात् कृषि का उत्पादन कई गुना बढ़ा चुका है किंतु भारतीय कृषि में व्याप्त कुछ कारक इसके संतुलित में अवरोधक है। अभी भी भारत में प्रतिहे0 भूमि में उत्पादन का स्तर बहुत ही कम है। भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र अल्प वर्षा वाले है और वहाॅ सिंचाई की सुविधा भी बहुत ही सीमित है। बहुत से क्षेत्र बाढ़ और सूख जैसी प्राकृतिक आपदा से त्रस्त है। यहाॅ मिट्‌टी का वितरण भी विभिन्न क्षेत्रों में आसमान ही है, इसलिए विभिन्न प्रकार के फसले उत्पादित होती हैं।

- हमारे किसान आज भी निरंतर कृषि की परम्परागत तकनीक का इस्तेमाल करते है , और अधिकतर जीवन निर्वाह के लिए कृषि पर ही निर्भर करते है।

....

Importance of agriculture in Indian

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि हमारें देश में केवल जीविकोपार्जन का साघन या उधोग धंधा ही नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

आर्थिक विकास में कृषि का महत्व निम्नलिखित है–

01. राष्ट्रीय आय में योगदान
02. रोजगार का प्रमुख स्त्रोत
03. औद्योगीकरण का आधार
04. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में योगदान
05. खाद्य सामग्री की पूर्ति
06. सरकारी बजट में योगदान
07. बचत का स्त्रोत
08. पूॅजी निर्माण
09. व्यापार व परिवहन की निर्भरता

10. क्रांतियों का इन्द्रधनुष (**Rainbow of Revolution**) : Green Revolution , Yellow Revolution , Blue Revolution, Grey Revolution, and White Revolution.
11. राजस्व में योगदान ।

विशेषतायें –

01. आजीविका का मुख्य साधन
02. छोटी जोतें
03. निम्न उत्पादकता
04. मनसून पर निर्भरता
05. अदृश्य बेरोजगारी
06. अपयप्ति सिंचाई
07. खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता
08. श्रम प्रधान कृषि
09. राष्ट्रीय आय का मुख्य स्त्रोत
10. परंपरागत कृषि पद्धति

UNIT -04

Trends in Agriculture Production and Productivity

Meaning (अर्थ) - कृषि उत्पादकता

कृषि उत्पादकता का अर्थ दो प्रकार से लगाया जाता है।

1. प्रति हे0 कृषि उपज।
2. प्रति श्रमिक उपज। ''1'' प्रति हे0 कृषि उपज से अर्थ है कि एक हे0 में कितना उत्पादन होता है। यही उस खेत की उत्पादकता है। ''2'' प्रति श्रमिक उपज का अर्थ

एक खेत की कुल उपज के मूल्य में उसमें कार्य करने वाले श्रमिकों का भाग देकर जो कल आता है, वह उस खेत की प्रति श्रमिक उत्पादकता है।''

Causes of Law Productivity of Indian Agriculture-

भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के कारण

01.प्राकृतिक कारण
02.तकनीकी कारण
03.संस्थागत कारण
04.आर्थिक कारण
05.अन्य घटक

01.प्राकृतिक कारण

1. भू–क्षरण
2. प्राकृतिक प्रकोप
3. अनिश्चित वर्षा

02.तकनीकी कारण –

1. उत्पादन की पुरानी तकनीकी
2. अपर्याप्त सिंचाई सुविधायें
3. उत्तम बीज व खाद का अभाव
4. फसलों की असुरक्षा

03. संस्थागत कारण –

1. जेतों का छोटा आकार होना
2. दोषपूर्ण भू–धारण प्रणाली

04.आर्थिक कारण –

01.कृषकों की ऋणग्रस्तता

02. बढ़ती हुई कृषि उत्पादन लागत
03. दोषपूर्ण कृषि विपणन व्यवस्था
04. साख सुविधाओं का अभाव

5. अन्य घटक –
1) कृषि पर जनसंख्या का अत्याधिक दबाव
2) धार्मिक एंव सामाजिक कारण
3) कृषि अनुसंधान की जानकारी का अभाव

⇨ कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सुझाव

01. सिंचाई सुविधाओं का विकास
02. उन्नत बीजों का उपयोग
03. भूमि सुधार
04. श्रेष्ठ तकनीकों और उन्नत औजारों को अपनाना
05. उवर्रक उपभोग स्तर को बढ़ाना
06. कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार
07. साख सुविधाओं में सुधार
08. मिश्रित खेती
09. किसानों के शिक्षण एंव प्रशिक्षण की व्यवस्था
10. वैज्ञानिक खेती
11. कृषि अनुसंधान
12. जनसंख्या दबाव को कम करना

....

उत्पादकता का निर्धारण करने वाला कारक

↓ तकनीकी आय ↓ संस्थागत उपाय

01. तकनीकी उपाय :–
1. अधिक उत्पादन करने वाले बीज
2. पौधे संरक्षण

3. <u>उर्वरकों का अधिकउ प्रयोग</u>
4. <u>सिंचाई –विस्तार</u>
5. <u>वैज्ञानिक तरीके की कृषि</u>
6. <u>बहुफसली कार्यक्रम</u>
7. <u>यंत्रीकरण</u>
8. <u>कृषि सेवा केन्द्र</u>
9. <u>कृषि भूमि का विकास</u>
10. <u>ग्रामीण विद्युतीकरण</u>

02) संस्थागत उपाय –

1) साख सुविधाओं में सुधार
2) फसलों के अधीन क्षेत्र सें वृद्धि
3) भूमि सुधार
4) विपणन सुधार
5) एकल बाजार

<u>LAND REFORMS</u>

<u>भू–सुधार</u> –

भूमि सुधार एक विस्तृत धारणा है, जिसमें सामाजिक न्याय की दृष्टि से जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के इष्टतम प्रयोग की दृष्टि से खेती किए जाने वाले जोतों का पुनगर्ठन सम्मिलित है। इनके कारण जहॉ एक ओर काश्तवार को भूमि की उपज का बड़ा भाग मध्यस्थों को देना पड़ता था, वही दूसरी ओर वह इन पूरी तरह आश्रित था।

<u>परिभाषा</u> :– प्रो0 गुन्नार मिर्डल के अनुसार ''भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनगर्ठन है।''

भू–सुधार की जरूरत :–

01. समानता के लिए।
02. भूमि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए।
03. ग्रामीण गरीबी को दूर करना
04. भूमि का पुनर्वितरण
05. स्मतावादी समाज
06. किसान मालिक की व्यवस्था

⇨ **भूमि–सुधारों का स्वरूप**

01. बिचौलियों का उन्मूलन –

क. जमींदारी ,

ख. महालवारी,

ग. रैयतवारी ।

02. कृषि का पुनर्गठन

क. चकबंदी, ख. भूमि के प्रबंधन में सुधार, ग. सहकारी कृषि

03. किरायेदारी सुधार

....

EFFECT OF LAND REFORMS भूमि सुधार के प्रभाव –

1. अब खेती करने वाले किसान और सरकार में सीधा संबंध स्थापित हो गया। भूमि की मालगुजारी लगान सीधे सरकार के पास जमा होती है।
2. किसान की भूमि पर स्थाई अधिकार प्राप्त हो गये, जिसका परिणाम यह हुआ कि उपज में वृद्धि के लिए किसानों द्वारा स्थायी सुधार शुरू होने लगे।
3. जमींदारी प्रथा का अंत होने के कारण बेगार व नौकरी जैसी शोषण गतिविधियों से किसानों को मुक्ति मिल गई।
4. काश्तकार एंव जमींदार एक ही स्तर पर आ गये, इससे समाज में समता की भावना का विकास हुआ।

5. चकबंदी के परिणाम स्वरूप बिखरे खेतों को एकत्रित किया गया। जहॉ वह कृषि कार्यों हेतु एक साथ नवीन तकनीक से गहन कृषि कर सकते है।
6. बेकार पड़ी भूमि का समाज के वंचित वर्ग में वितरण हुआ।

DRAW BACKS OF LAND REFOMS PROGRAM

भूमि सुधार कार्यक्रमों की कमियॉ

01. जमींदारों द्वारा काश्तकारों को बेदखल कर खुदकाश्त के लिए भूमि का पुर्नग्रहण किया गया।
02. उच्चतम जोत की सीमा से बचाव हेतु जोतों का अनियमित एंव अवैधानिक हस्तांतरण हुआ।
03. जमींदार, राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी का गठजोड़ बना , जो पहले से ही एक थे। और इन्होंने कानून की अवहेलना के साथ ही साथ भूमि संबंधी **Records** में भी परिवर्तन किया।
04. भूमि संबंधी प्रलेख अपूर्ण होने के कारण स्वमित्त निर्धारण करने में कठिनाई आई।
05. भूमि सुधार कार्यक्रमों में एकरूपता का अभाव था। कई कार्यक्रम जैसे चकबंदी , उच्चतम जोत सीमा कानून , सहकारी कृषि आदि को एक साथ लागू नही किया गया।
06. भूमिहीन किसानों या छोटे काश्तकारों दो भूमि के स्वामित्व प्रदान करने के साथ ही साख या वित्त की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई।

भूमि सुधार कार्यक्रमों को सफलता के लिए सुझाव –

1. भूमि संबंधी **Records** का नवीनकरण किया जाये साथ ही सरल सुलभता हेतु पूर्णतया कम्प्यूटीकरण किया जाए।
2. भूमि सुधार कार्यक्रमों से संदर्भित स्पेशल अदालत स्थापित की जाये जहॉ गरीब लोगों को निःशुल्क न्याय प्रदान किया जाए साथ ही वहॉ त्वरिक निर्णय लिय जाए।

3. किसानों को भूमि में स्थाई विकास के लिए सारव एंव वित्त की सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
4. भूमि सुधार कार्यक्रमों का समयाबद्ध रूप में क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।
5. भूमि सुधार कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार के साथ इसकी प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाना चाहिए।

<u>नई कृषि रणनीति और हरित क्रांति</u> –

भारत में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए पहला संगठित प्रयास 1960–61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के लिए चुने गये 7 जिलों मे पायलट परियोजना के रूप मे किया गया था। 1965 में सरकार ने इस नीति को 'गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम' के अंतर्गत चुने गये 114 जिलों में लागू किये।

1965 में मैक्सिकों में गेहूॅ की प्रति हे0 पैदावार 5 से 6 हजार किलोग्राम हो गई थी। इसे देखकर भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्रों ने भी मक्का बाजरा और ज्वार की एंकर प्रजाति खोज निकाली। नयी कृषि नीति की सफलता के लिए आवश्यक या कि सिंचाई की नियंत्रित व्यवस्था के साथ–साथ रासायनिक खादों, संकर बीजों और कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाये। नयी कृषि युक्ति को 1966 में एक पैकेज कार्यक्रम में शुरू किया गया और इसे अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम की संज्ञा दी गयी। (**HYVP** के कारण कृषि उत्पादन व उत्पादकता में विशेष रूप से गेंहू में) काफी वृद्धि हुई। इसे 'हरित क्रांति' का नाम दिया गया है।

नॉरमन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते है, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक एम0 एस0 स्वामीनायन को माना जाता हैं।

अर्थ – '' हरित क्रांति का अर्थ कृषि की उत्पादन तकनीक को सुधारने एंव कृषि उत्पादन तकनीक को सुधारने एंव कृषि उत्पादन में वृद्धि करने से है।''
चतुर्थ योजना के प्रारंभ में हरित क्रांति का जन्म हुआ। भारतीय कृषि उत्पादकता जो तृतीय योजना के अंत तक अत्यन्त कम थी, हरित क्रांति के आगमन से खाद्यान्न में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई।

हरित क्रांति के मुख्य तत्व :–

01. अधिक उपज देने वाले किस्में –

हरित क्रांति में संकर बीजों का उपयोग का किया जाता है। इससे उपज 2–3 गुना या 5 गुना तक होती है। इसमें नये नये किस्मों की खोज की गई है जैसे – गेंहू में सेनारा 64, लरमा, सेजो 64–ए, कल्याण सोना चावल मे छोटी बासमती , पदमा , रत्ना , विजया, जिया, कष्णा आदि। अभी तक यह कार्यक्रम गेहॅू ,धान , बाजरा , मक्का व ज्वार पर ही लागू किया गया है, परन्तु गेहॅू पर सबसे अधिक सफलता मिली है।

02. रासायनिक उर्वरकों का उपयोग –

हरित क्रांति की दूसरी विशेषता रासायनिक खाद का आवश्यक रूप से प्रयोग। उन्नत बीजों का प्रयोग करने के साथ रासायनिक खाद को निर्धारित मात्रा में उपयोग करना आवश्यक है।

03. बहुफसली कार्यक्रम –

इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक ही भूमि पर दो या दो से अधिक फसले प्राप्त की जाती है। जैसें गेंहू के साथ सरसों , गेंहू के साथ जौ तथा चना, ज्वार के साथ उड़ढ एंव जट।

04. पौधे संरक्षण –

इसमें भी कृषि उत्पादकता पर पर्याप्त बल दिया गया है। इसके लिए भूमि तथा फसलों पर दवा छिड़कने का कार्य किया जाता है।

05. सिंचाई –

हरित क्रांति के लिए उन्नत बीज एंव खाद के साथ प्रर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करना भी आवश्यक था। पॉचवी योजना में सिंचाई की 810.55 करोड़

रू0 व्यय करने की व्यवस्था की गई। अधिक संख्या में नदी–घाटी परियोजना शुरू की गयी , जिससे सिंचाई के साधन में प्रर्याप्त वृद्धि हुई।

06. भू–संरक्षण –

इसमें भू–संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया । घाटियॉ व दरो की भूमि को साक तथा समतल कर खेती के योग्य बनाया गया।

07. गहन कृषि जिला कार्यक्रम –

इस कार्यक्रम में जिन क्षेत्रों में भूमि अच्छी है तथा सिंचाई के साधन प्रर्याप्त थे, वहॉ अधिक शक्ति व श्रम की सहायता से कृषि का विकास किया गया।

08. कृषि शिक्षा तथा अनुसंधान –

देश में कृषि शिक्षा एंव पर प्रर्याप्त बल दिया गया । इसके साथ लुधियाना पंजाब, उदयपुर राजस्थान तथा भुवनेश्वर उड़ीसा में कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ताकि शिक्षा के साथ शोध करते हुए वैज्ञानिक ढ़ग से कृषि करने को प्रोत्साहन मिलें।

09. ग्रामीण विद्युतीकरण –

गांवों में बिजली देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई।

10. कृषि उधोग निगम –

इन निगमों का कार्य कृषि उपकरण व मशीनरी की पूर्ति तथा उपज भण्डारण को प्रोत्साहन देना है।

<u>हरित क्रांति के प्रभाव या लाभ –</u>

01. उत्पादन में वृद्धि
02. कृषि उत्पादकता में वृद्धि
03. रोजगार में वृद्धि
04. आयात प्रतिस्थापन और निर्यात संवदर्धन में सहायक

05.औद्योगिक क्षेत्र में निर्भरता
06.कृषि बचतों में वृद्धि
07.आर्थिक विकास का आधार
08.क्षेत्रीय असमावताओं में वृद्धि
09.पूंजीवादी कृषि का विकास
10.विचारधारा में परिवर्तन

हरित क्रांति के दोष अथवा असफलतायें –

01.इसमें केवल गेंहू, चावल , ज्वार, बाजरा तथा मक्का को ही सम्मिलित किया गया और कपास , चाय , काफी , जूट , तिलहन आदि पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।

02. इस क्रांति का प्रभाव केवल पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश तथा तमिलनाडू के कुछ भागों में हुआ जबकि अधिकांश राज्य इस क्रांति का लाभ लेने में असमर्थ थे।

03.हरित क्रांति का लाभ केवल उन्ही क्षेत्रों को मिल सका जहॉ सिंचाई के साधन प्रर्याप्त है जैसे यू0पी0 , पंजाब, हरियाणा, गुजरात तथा मध्य प्रदेश।

04.पूॅजीवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला ।

05.हरित क्रांति का लाभ बड़े भू–स्वामियों को ही मिला हो।

06.बड़े –बड़े कार्यो में नवीन तकनीकी प्रयोग के कारण मानवीय, श्रम की आवश्यकता कम पड़ती थी , जिसके कारण खेतिहर मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ती गयी।

हरित क्रांति की सफलता हेतु सुझाव –

1. कम ब्याज पर प्रर्याप्त ऋण सुविधाएॅ गरीब किसानों को उपलब्ध करायी जायें, ताकि वे रासायनिक खाद आदि का उत्तरोत्तर प्रयोग कर सकें।
2. मिट्‌टी का प्रर्यवेक्षण करा लिया जाए और उसके अनुकूल बीजों का उपयोग किया जाए।
3. कृषि विकास से संबोधित सभी विभागों और संस्थाओं में समन्वय और सहयोग बढ़ाया जाए, ताकि अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके।

4. नई कृषि नीति अधिक जोखिमपूर्ण है, इसलिए कृषि मूल्यों को यथासंभव रखते हुए कृषकों की जोखिम से रक्षा का आश्वासन दिया जाए।
5. फसलों को बीमारियों से बचने के लिए कीटनाशक दवाईयॉ उपलब्ध कराई जाए, पौधे –संरक्षण संबंधी अनुसंधान स्थापित किए जाए और पौधे–संरक्षण सामग्री उचित मूल्यों पर कृषकों को उपलब्ध की जाए। फसल बीमा योजना लागू की जाए।

ग्रामीण सारव –

- कई वर्षों से भारत सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि कृषि साख को सुद्धढ़ बनाने के लिये सहकारी साख का ढांचा अधिक व्यापक एंव प्रभावशाली बनाया जाये। स्वतंत्रता के बाद अखिल भारतीय ग्रामीण सारत सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साख पर विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
- ग्रामीण साख की प्रकृति –
  1. अल्पकालीन ऋण
  2. मध्यकालीन ऋण
  3. दीर्घकालीन ऋण

01. अल्पकालीन ऋण –

यह ऋण, खाद, बीज , फसल , पशुओं या किसानों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिये जाते है। 15 महीनें की अवधि के श्रण अल्पकालीन कहलाते है।

02. मध्यकालीन ऋण –

जो 15 महीने से 5 वर्ष के लिए दिये जाते है, मध्यकालीन लोन कहलाते है। इसका प्रयोग कृषि सुधार, उपकरण खरीदने , सिंचाई व्यवस्था करने पशु खरीद आदि के लिए किया जाता है।

03. दीर्धकालीन ऋण –

05 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण दीर्धकालीन ऋण कहलाते है। इसका प्रयोग भूमि तथा मंहगे उपकरण जैसे ट्रैक्टर , थ्रेशर , पम्पसेट आदि खरीदने के लिया किया जाता है।

ग्रामीण साख उपलब्धि के स्त्रोत्र –

- भारत में कृषि साख के स्त्रोतों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

1. गैर संस्थागत वित्तीय स्त्रोत (महाजन , साहूकार)
2. संस्थागत वित्तीय स्त्रोत (सरकार, व्यापारिक बैंक , सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)

भारत में कृषि साख के स्त्रोत्र

संस्थागत स्त्रोत | गैर–संस्थागत स्त्रोत

संस्थागत स्त्रोत:

1. अल्पकालीन ऋण (15 माह से कम)
2. मध्यकालीन ऋण (15 माह से 05 वर्ष तक)
3. दीर्घकालीन ऋण (05 वर्ष से अधिक अवधि)

01 गैर–संस्थागत स्त्रोत –

गैर–संस्थागत ऋण देने वाले वर्गो में जमींदार, कृषक व साहूकर प्रमुख हैं। जमींदार व सम्पन्न किसान छोटे किसानों को उधार देते है और उसपर ब्याज लेना आरंभ कर देते हैं। साहूकारों एंव महाजनों की भूमिका भी कृषि साख में महत्वपूर्ण रही है।

02. संस्थागत स्त्रोत –

1. सहकारी साख संस्थाये
2. भूमि विकास या भूमि बंधक बैंक
3. व्यापारिक बैंक
4. भारतीय स्टेट बैंक
5. रिजर्व बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक –

नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश जारी किया गया तथा 20 अक्टूबर 1975 को देश में 05 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुरादाबाद , गोरखपुर , हरियाणा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में किया गया। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य गावों में कृषि तथा अन्य उत्पादन में वृद्धि के लिए साख सुविधाओं में वृद्धि के लिए साख सुविधाओं में वृद्धि करना। ये बैंक विशेष रूप से छोटे व सीमांत कृषकों, कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए स्थापित किये गये।

कृषि एंव ग्रामीण विकास बैंक नाबाई –

- नाबार्ड की स्थापना एक कानून के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को की गई। यह बैंक एक सर्वोच्या संस्था के रूप में कार्य करता है। नाबार्ड द्वारा कृषि, ग्रामीण विकास तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए पुनर्वित्त के रूप में ऋण दिये जाते है। नाबार्ड ग्रामीण विकास की समस्याओं तथा दुर्बल वर्गो की आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देता है। नाबार्ड द्वारा एक शोघ एंव विकास कोष स्थापित किया गया है।

कृषि विपणन –

अर्थ– ''कृषि विपणन से अर्थ उन सभी क्रियाओं से लगाया जाता है , जिनका संबंध कृषि उत्पादन का कृषक के यहॉ से अंतिम उपभोक्ता तक पहॅुचनें मे किया जाता हैं। इन क्रियाओं में कृषि उपज को एकत्रित करना, उनका श्रेणीकरण एंव प्रमाणीकरण करना ,

उन्हें बेचने के लिए मण्डियों व बाजारों तक ले जाना तथा उनकी बिक्री करना भी शामिल है''।

विपणन का ढॉचा –

कृषि पदार्थो को ध्यान में रखते हुए बाजारों के कुछ प्रकार निम्नलिखित है–

1. स्थानीय बाजार –

   भारत में किसान अपनी उपज का अधिकांश भाग गांवों में ही बेच देते है , जैसे गावों के साहूकार , महाजन , बनियें या शहर के व्यापारी। कभी कभी किसान उपज को गॉव में ही बेचने के लिए विवश हो जाता है, क्योंकि वह साहूकारों से ऋण लिया रहता है।

2. अनियमित मण्डियॉ –

   इन मण्डियों में क्रय–विक्रय प्राचीन व्यवस्था के अनुसार होता है। इनमें बहुत बड़ी संख्या में मध्यस्थ पाये जाते है। इन मण्डियों में कमीशन , दलाली आदि होती है। वस्तुओं के मूल्य दलाल ही तय करते है। अनपढ़ किसान कुछ जान नहीं पाता।

3. नियमित मण्डियॉ –

   इन मण्डियों में नियमानुसार क्रय विक्रय होता है। इसका नियमन राज्य कृषि उपज अधिनियम के अंतर्गर किया जाता है। जिसके कारण किसान की उचित मूल्य उपलब्ध हो जाता है।

4. सरकारी विपणन समितियॉ –

   ये समितियॉ अपने सदस्यों की उपज को इकट्ठा बेचकर पर्याप्त मूल्य प्राप्त करती है।

5. राज्य बाजार – राज्य की ऐजेन्सियॉ जैसे भारतीय खाद्य निगम फसल तैयार होने के समय ग्रामीण क्षेत्रों या मण्डियों के निकट अपने विशेष केन्द्र स्थापित करता है, जहॉ पर सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर उपज को खरीदा जाता है।

भारत में कृषि विपणन के दोष –

1. व्रिकय की बाध्यता –

आर्थिक दुर्बलता के कारण किसान अपने उपज को गॉव में ही बेच देता है, क्योंकि उसे अपने ऋणों का भुगतान करना होता है।

2. परिवहन साधनों का अभाव –

देश में परिवहन के साधन अविकासित व दोषपूर्ण है। अधिकांश गॉव, रेलों व सड़कों से कटे हुए है। इसलिए अपनी उपज को गॉव में ही बेचने के लिए बाध्य हो जाते है।

3. मध्यस्थों का बहुल्य –

भारत में किसान तथा उपभोक्ताओं के बीच अनेक मध्यवर्ती लोग पाये जाते है। किसानों को 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत भाग ही प्राप्त होता है और शेष मध्यस्थों द्वारा हड़प लिया जाता है।

4. वित्तीय सुविधाओं का अभाव –

छोटे किसानों की ऋण सुविधायें प्रदान करने में राष्ट्रीयकृत बैंक व सहकारी समितियॉ असफल रही है जिससे कारण किसानों को अपनी फसल को साहूकार की इच्छानुसार बेचना पड़ता है। देश में लगभग 80 प्रतिशत किसान इस श्रेणी में हैं।

5. मूल्य सूचना का अभाव –

गांव में किसानों को मण्डियों की कीमतों का ज्ञान नही रहता, इसका मुख्य कारण संचार सुविधाओं का अभाव पाया जाता है।

6. श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण का अभाव –

किसानों को अपनें उत्पादन की किस्म के अनुसार कीमत नहीं मिल पाती, इसलिए फसल की अच्छी किस्म का उत्पादन करने के लिए वह नही सोचतें और अनाज प्रतिदिन विक्रय किये जाते जिनकी विभिन्न कीमतें और विभिन्न मापन इकाइयॉ होती है। इस प्रकार मूल्य व श्रेणी के बीच समन्वय नहीं रह पाता और उपभोक्ताओं को कोई संतोष नही मिल पाता ।

7. नियंत्रित बाजारों की धीमी प्रगति –

मण्डियों में व्यापारियों के कार्यों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से तथा कृषक विक्रेताओं को आवश्यक सुविधाओं के लिए नियंत्रित बाजारों की प्रगति काफी कम है। मध्य प्रदेश ,महाराष्ट्र , तमिलनाडू, पंजाब व गुजरात को छोड़कर अन्य राज्यों में व्यवस्था संतोषप्रद नहीं हैं।

8. अन्य दोष –

कृषि विपणन के दोषों में जैसे कम व निम्न कोटि की उपज, किसानों की निर्धनता, ऋणग्रस्तता , अज्ञानता , अंसगठित होना आदि ।

कृषि विपणन के लिए सरकारी सुझाव –

01. <u>नियमित मण्डियों की स्थापना –</u>

नियमित बाजारों की स्थापना का उद्देश्य कृषि पदार्थो की बिक्री को नियमित करना व कुशल बनाना है, जिसमें उत्पादकों , व्यापारियों स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि होते है।

02. <u>गोदाम की सुविधायें –</u>

कृषि उपज के लिए संग्रह एंव गोदामों की सुविधायें उपलब्ध कराने वाली प्रमुख संस्थायें है–
केंद्रीय एंव राज्य गोदाम निगम भारतीय खाद्य निगम व सहकारितायें।

03. श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण की सुविधा :–

Agriculture mark i.e. the certificate and standardization mark for packaged agricultural products in India.

04- Directroate of Marketing and Inspection -

1963 में इसली स्थापना की गई थी। कोलकाता, मुम्बई, चेन्नई, दिल्ली , लखनऊ, जयपुर, शिलांग व भोपाल में क्षेत्रीय कार्यालय खोले है जहॉ से उन क्षेत्रों की विपणन समाचार व्यवस्था की उचित देखभाल की जाती है।

05- Fruit Production and Air-Conditioning

फलोत्पादव व प्रशीतन – फलोत्पादन आदेश , 1955 के अन्तर्गत फलों व सब्जियों की किस्म , नियंत्रण व्यवस्था के लिए लाइसेंस दिये जाते हैं। Cold Storage आदेश 1964 के अनुसार आकार 85 घन मीटर है।

06. मूल्य स्थिरीकरण –

कृषि मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सन् 1966 से सरकार प्रतिवर्ष खाद्यन्नों के न्यूनतम मूल्यों की द्योषणा करती है।

07. सहकारी विपणन समितियों का संगठन –

सरकार ने बहु–उद्देशीय सहकारी समितियों के संगठन को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रिय प्रोत्साहन दिया है। (NAFED) NATIONAL AGRICULTURE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD. की भी स्थापना की है। यह Apex Body है।

08. वित्त की व्यवस्था –

बहुत सी सार्वजनिक एजेन्सियॉ कृषकों को पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सुविधायें प्रदान करने के लिए प्रयत्नशील है।

09. कृषि संबंधी सूचना –

रेडियों व दूरदर्शन के प्रसारण में मुख्य वस्तुओं के दैनिक मूल्यों, स्टॉकों व बाजार की गतिविधियों संबंधी सूचना दी जाती है।

10. **विशेष की स्थापना –** भारत सरकार ने रबड़, कॉफी, चाय, तंबाकू ,गर्म मसाले , नारियल, तिलहन व वनस्पति तेल आदि के बारे में स्थापित किये है।
11. **कृषि संबंधी सूचना –** किसानों में कृषि संबंधी सूचना के प्रसारण के लिए सरकार रेडियों व टेलीविजन का प्रयोग करके मूल्यों , स्टॉक व बाजारों की जानकारी किसानों तक पहुॅचाती है।